न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 41/2018 दायरा दिनांक : 23.10.2017

उनवान

1— अमरलाल आत्मज घासी, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2— बालचन्द आत्मज घासी, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— पूरीलाल आत्मज भैरूलाल, जाति राठौर, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2— घनश्याम आत्मज भैरूलाल, जाति राठौर, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3— दिनेश आत्मज भैरूलाल, जाति राठौर, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4— रामचन्द्र आत्मज भैरूल, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

5— बीरम आत्मज भैरू, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

6— गणेश आत्मज भीमा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

7— राधेश्याम आत्मज भीमा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

8– कंवरी पुत्री भीमा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

9– गुलाब बाई पुत्री भीमा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

10– झमकू बाई पुत्री भीमा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

11– धापू पुत्री भीमा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

12– मांगीलाल आत्मज रामा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

13– गोपाल आत्मज रामा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

14– जमनी बाई बेवा रामा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

15– मांगी बाई पुत्री मोती, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

16– सावित्री बाई बेवा नाथू, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

17– ताराचन्द्र आत्मज हीरा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

18– मोहन बाई पुत्री हीरा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

19– नानू बाई बेवा नन्दा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

20– बाला आत्मज नन्दा, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

21— धन्ना आत्मज मोती, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

22— सहायता बाई बेवा नाथू, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

23— लाल चन्द आत्मज नाथू, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

24— नानूराम आत्मज नाथू, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

25— बदन आत्मज मोती, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

26— रामप्रसाद आत्मज सुल्तान, जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

27— राजू आत्मज सुल्तान जाति मेघवाल, निवासी गादिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

28— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रमेश मेघवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या — 611/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गादिया तहसील झालरापाटन के खाता संख्या 155 की खसरा नम्बर 243 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 316 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 317

रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 318 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 623 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 624 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 628 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल 8 किता की कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा आराजी वादी/अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 4 लगायत 27 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें अपीलांट का 1/5 हिस्सा निहित है । अपीलांट के हिस्से की आराजी पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 जबरन कब्जा करने पर आमादा थे जिनको रोकने के लिए अपीलांट व रेस्पोडेंट 19 लगायत 27 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था जिसको दर्ज कर रेस्पोडे।ट नम्बर 1 लगायत 18, 19 को तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3 व 19 ने अपना जवाब दावा पेश किया शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 17.07.2017 को पेशी पर नियत थी । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.05.2017 को नियत दिनांक से पूव्र ही राजस्व लोक अदालत समराई में अपीलांट को बिना सूचना दिये ही अपीलांट का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 243 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने का आदेश फरमाया है जिससे अप्रस्नन होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी न्यायालय व तथ्यों के सर्वथा विपरीत तथा पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है । वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद की सूचना रेस्पोडेंट 1, 2, 3 व 19 को होने के पश्चात् रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3 ने जवाब पेश किया उसके पश्चात् दिनांक 04.05.2017 को रेस्पोडेंट 19 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया जिसके विशेष कथन में रेस्पोडेंट 19 ने आराजी खसरा नम्बर 243 को सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया । इसी निवेदन पर अपीलांट को सुने बिना उसकी साक्ष्य को रिपोर्ट पर लिये बिना ही यह निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा साक्ष्य का समुचित अवलोकन किये बिना एवं सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य लम्बित विवादग्रस्त प्रश्नों की विधियों के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय समराई की जानकारी दिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में यह निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की दिनांक को रेस्पोडेंट नम्बर 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की तलबी हेतु नियत थी जिनकी तलबी किये बिना ही एवं रेस्पोडेंट नम्बर 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को भी अपना जवाब पेश करने का अवसर दिये बिना ही पारित किया है । अपीलांट के पूर्वजों ने कभी भी आराजी खसरा नम्बर 243 का बेचान रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में नहीं किया है और रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत स्टाम्प पेपर दिनांक 07.05.1975 में कहीं पर भी खसरा नम्बर 243 के बेचान के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है । साथ ही इन स्टाम्प पेपरों पर जिस रकबे के बारे में बेचान करना बताया गया है वह रकबा 15 बीघा बताया गया है जबकि खसरा नम्बर 243 का रकबा मात्र 9 बीघा है इससे कहीं भी साबित नहीं होता है कि उक्त खसरा नम्बर 243 का बेचान हुआ है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट साक्ष्य रिकोर्ड पर लिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय सिविल अपील संख्या 6741, 6742/2012 निर्णय दिनांक 20.09.2012 उनवान स्टेट आफ राजस्थान बनाम अंजनी ऑर्गेनिक हर्बल के मामले में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मामले में भूमि के वास्तविक स्वामी अनुसूचित जाति के सदस्यों को सौपे जाने का आदेश दिया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में खसरा नम्बर 243 की आराजी का रकबा कम करके 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने के आदेश फरमाये गये यदि सिवाय चक घोषित कर दी गई तो अपीलांट को काफी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन द्रव्य में संभव नहीं है एवं

सुविधाओं का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 अपास्त की जावें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.10.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । प्रकरण में एस. 42 का आधार स्पष्ट नहीं है, रजिस्टर्ड बेचान अथवा तहसीलदार अभिषंसा का आधार भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रजिस्टर्ड बेचान अथवा तहसीलदार अभिषंसा रेकार्ड पर लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा